न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 154/2023

बिकरसिंह उर्फ विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्रजीत सिंह सिधु पुत्र जोगेन्द्र सिंह सिधु जाति जटसिख साकिन गुरुसर मोडिया तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

–प्रार्थी

–:बनाम:–

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

–अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट ::–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री जगजीत सिंह रमाणा अधिवक्ता – प्रार्थी
2. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा। – अप्रार्थी

–:: निर्णय ::–

दिनांकः– 12/8/24

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री जगजीत सिंह रमाणा अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम चक 11 एल के एस बी के खाता सं. 72/58 के प.नं. 18/276 मु.नं. 5 किला नं. 14/2/0.127, 17 ता 20, प.नं. 19/277 के मु.नं. 19 के किला नं. 1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.228, 5/2/0.025, 6 ता 25, प.नं. 20/276 के मु.नं. 7 के किला नं. 15, 16, 17/2/0. 114, 25 की कुल 8.337 हैक. नहरी गैर मु. खाला मे प्रार्थी कां 1/3 हिस्सा राजस्व दर्ज रिकार्ड है।

प्रार्थी के नाम चक 11 एल के एस बी के खाता सं. 66/19 के प.नं. 18/277 के मु. नं. 20 के किला नं. 11 ता 14, 15/1/0.215, 15/2/0.038 की कुल 1.265 हैक् नहरी गैर मु. रास्ता राजस्व दर्ज रिकार्ड है।

प्रार्थी जो कि राजकीय सेवा मे वरिष्ठ अध्यापक के पद से दिनांक 30.06.2021 को सेवानिवृत हुआ है प्रार्थी का सभी दस्तावेजो कार्यालय जिसमे सयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा बीकानेर संभाग बीकानेर का सेवानिवृती का आदेश राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग दिनांक 12.01.2021 सेवानिवृती आदेश दिनांक 30.06.2021 पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी ग्राम पचांयत काहनेवाला ब्लॉक पीलीबंगा व पी पी ओ नम्बर 1141744 दिनांक 01.07.2021 व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सकैन्डरी स्कुल 1977 व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अकंतालिका सकैन्डरी स्कूल परीक्षा 1977 व प्रार्थी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मुलनिवास, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक एस.बी.आई की पासबुक मे प्रार्थी का नाम विक्रजीत सिंह सिधु पुत्र जोगेन्द्र सिंह सिधु साकिन गुरुसर मोडिया [illegible] सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर दर्ज है लेकिन प्रार्थना पत्र की दफा 1 मे वर्णित कृषि [illegible] बिकर सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह व प्रार्थना पत्र की 2 मे वर्णित कृषि भूमि [illegible] विक्रमजीत सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह सहवन व गलती से लिखे गए है क्योंकि प्रार्थी अक्षरतयः अपनी शिक्षा पूर्ण करने [illegible] अध्यापक के रूप मे राजकीय सेवा में नियुक्त हो गया व कृषि भूमि जो सयुक्त परिवार मे रहते हुए प्रार्थी के नाम दर्ज हुई जिसमे सवभाविक तौर पर प्रार्थी का नाम छोटे रूप मे आम बोल चाल की भाषा प्रार्थना पत्र की दफा 1 मे वर्णित कृषि भूमि मे बिकर सिंह पुत्र जोगेन्द्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.08.20 10:25:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

सिंह व प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे वर्णित कृषि भूमि मे विक्रमजीत सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह सहवन से दर्ज हो गया जिसका ज्ञान मिन प्रार्थी को कभी नही रहा क्योंकि प्रार्थी अपनी राजकीय सेवा ज्यादातर घर व गाव से दूर रहा इस कारण प्रार्थी के परिवार के सदस्य जो बहुत कम पढे लिखे थे ने दस्तावेजी नाम न देकर प्रार्थी का आम बोल चाल की भाषा का नाम दर्ज करवा दिया जिसका ज्ञान मिन प्रार्थी को कभी नही रहा अब प्रार्थी सेवा निवृत होने के पश्चात अपने व अपने भाईयो के नाम वर्णित कृषि भूमि का पारिवारीक बटवारा की बाबत बातचीत चलने पर व मिन प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड प्राप्त करने व अवलोकन करने पर प्रार्थी को पता चला की प्रार्थी का नाम प्रार्थना पत्र की दफा 1 मे वर्णित कृषि भूमि मे बिकर सिंह पुत्र जोगेन्द सिंह व प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे वर्णित कृषि भूमि मे विक्रमजीत सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिह का गलत नाम दे रखा है जबकि प्रार्थी का पूर्ण व सही नाम विक्रजीत सिंह सिधु पुत्र जोगेन्द्र सिंह सिधु जाति जटसिख साकिन गुरुसर मोडिया तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर है जो उक्त प्रस्तुत दस्तावेजो मे सही अकंन है इस कारण प्रस्तुत दस्तावेजो अनुसार प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम विक्रजीत सिंह सिधु पुत्र जोगेन्द्र सिंह सिधु जाति जटसिख साकिन गुरुसर मोडिया तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर प्रार्थना पत्र की दफा 1 व 2 मे वर्णित कृषि भूमि मे दुरूस्त कर सही नाम अकंन किए जाने के आदेश फरमाए जावे ।

प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का नाम प्रार्थना पत्र की दफा 1 व 2 मे वर्णित कृषि भूमि मे सही नाम विक्रजीत सिंह सिधु पुत्र जोगेन्द्र सिंह सिधु जाति जटसिख साकिन गुरुसर मोडिया तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर दुरूस्त कर सही नाम अकंन किए जाने के आदेश फरमाए जावे।

प्रकरण में अप्रार्थी तहसीलदार पीलीबंगा से पत्रांक रीडर/2024/1531 दिनांक 02.08.24 से रिपोर्ट प्राप्त की गई रिपोर्ट पटवार हल्का चक 11 एल. के. एस. –बी के प.नं. 18/276 (5) कि.नं. 14/2, 17 ता 20, प.नं. 19/277(19) कि. नं. 1 ता 5 व प.नं. 20/276 (7) कि. नं. 15, 16, 17/2, 25 कुल रकबा 8.337 हैक्ट. मे बिकर सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह, हि0 1/3 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प.नं. 18/277 (20) कि. नं. 11 ता 15, कुल रकबा 1.265 हैक्ट. विक्रमजीत सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प.नं. 18/276 व प.नं. 19/277 तथा प.नं. 20/276 में मुताबिक पटवार हल्का लखासर राजस्व रिकॉर्ड बिकर सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह चला आ रहा है। प.नं. 18/276 में जरिये नामा0 सं0 146 बैयनामा दिनांक 20.07.17 से विक्रमजीत सिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह जाति जटसिख दर्ज है। प्रार्थी के आधार कार्ड, अंकतालिका कक्षा–10, पहचान पत्र व अन्य दस्तावेज में विक्रमजीत सिंह सिन्धु पुत्र जोगेन्द्र सिंह है। बिकर सिंह व विक्रमजीत सिंह व विक्रजीत सिंह सिधू एक ही व्यक्ति है। अतः बिकर सिंह व विक्रमजीत सिंह के स्थान पर विक्रजीत सिंह सिधू किया जाना उचित है।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई एवं पत्रावली अवलोकन किया गया प्रस्तुत दस्तावेजों एवं सह काश्तकारों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों एवं तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–:आदेश:–

बहस अधिवक्ता सुनी गई। पत्रावली अवलोकन, संलग्न दस्तावेजों शपथ पत्र अवलोकन व तहसीलदार पीलीबंगा रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित होने पर स्वीकार किया जाता है। **तहसील पीलीबंगा के चक 11 एल.के.एस.–बी के प.नं. 18/276 (5) कुल रकबा 8.337 हैक्ट. में बिकर सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह दर्ज रिकॉर्ड है। प.नं. 18/277 (20) कि. नं. 11 ता 15, कुल रकबा 1.265 हैक्ट. विक्रमजीत सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प.नं. 18/276 व प.नं. 19/277 तथा प. नं. 20/276 में बिकर सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह है। अतः बिकर सिंह व विक्रमजीत**

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.08.20 10:25:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

सिंह के स्थान पर विक्रजीत सिंह सिधु पुत्र जोगेन्द्र सिंह सिधु किया जाकर दर्ज करने के आदेश फरमाये जाते है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा। निर्णय सरे इजलास सूनाया गया। पत्रावली फैसला होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.08.20 10:25:29 IST
Reason: SelfAttested